(7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला – उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश सुराणा (RAS)
प्रकरण संख्या – 19/2013 प्रा.प.

दायर दिनांक – 12.12.2013
निर्णय दिनांकः– 11.02.2016

श्री पांचा पिता हकरा मीणा निवासी अमरपुरा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर

–प्रार्थी–

बनाम

1 श्रीमति काली पिता भेरा मीणा निवासी अमरपुरा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)
2 श्रीमति हकरी पत्नी पेमजी मीणा निवासी अमरपुरा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)
3 तहसीलदार ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

–विपक्षीगण–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 RT Act

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके निर्णय में विलम्ब सम्भव है लेकिन प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थी के पिता के भाई भेरा पिता पद्मा के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा अमरपुरा पटवार सर्कल पण्डयावाडा तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर की आराजी नं. 1415/0.18 - 1416/0.05 - 1417/0.05 - 1418/0.08 - 1421/0.08 - 1422/0.09 - 1425/0.10 - 1427/0.11 - 1436/0.06 - 1439/0.25 - 1440/0.25 - 1464/0.02 - 1465/0.02 - 1467/0.01 - 1487/0.04 - 1488/0.02 - 1489/0.03 - 1492/0.02 - 1524/0.06 - 1525/0.08 - 1532/0.19 - 1559/0.13 - 1560/0.01 - 1571/0.12 - 1572/0.12 - 1573/0.13 - 1575/0.21 - 1576/0.08 - 1578/0.08 - 1585/0.13 - 1598/0.14 - 1599/0.13 कुल किता 32 रकबा 3.05 हैक्ट. राजस्व रिकार्ड में भेरा के नाम दर्ज थी। खातेदार भेरा पिता पद्मा अपनी बिमारी एवं वृद्धावस्था से परेशान होकर उक्त वर्णित कृषि भूमि को काश्त करने में असमर्थ रहा था। ऐसी स्थिति में भेरा की देखभाल प्रार्थी द्वारा की जाती थी। भेरा की एक पुत्री काली है, जिसकी शादी हुए काफी बरस हो चुके है इसलिए भेरा की सेवा–चाकरी प्रार्थी द्वारा की जाती रही है। जिस पर भेरा ने खुश होकर प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात की खातेशुदा भूमि दिनांक 10.09.90 को प्रार्थी को 10/– रूपये के स्टाम्प पर गवाहो के समक्ष वसीयत कर दी थी। प्रार्थी, भेरा के जीवनकाल से आज तक उक्त वर्णित कृषि भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। भेरा की दिनांक 12.10.98 को स्वर्गवास हो जाने से वसीयत के आधार पर प्रार्थी निरन्तर काबिज चला आ रहा है। भेरा की एक पुत्री काली थी जिसका विवाह काफी समय पूर्व हो गया है। भेरा अपने भाई हकरा का लड़का, जो कि प्रार्थी है, के साथ रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र सन्तान नहीं था, इसलिए वह अपने भतीजे (प्रार्थी) के साथ रह कर संयुक्त रूप से कृषि किया करता था। भेरा के स्वर्गवास के बाद प्रार्थी के पक्ष में की गई वसीयत अस्तित्व में आ जाने से वसीयत के आधार पर प्रार्थना–पत्र के कॉलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात की जमाबंदी में भेरा के बजाय प्रार्थी का नाम आ जाना चाहिये था लेकिन तत्कालीन पटवारी द्वारा खातेदार स्व. भेरा के विधिक वारिसान के बारे में सही ढंग से जांच पडताल नहीं कर उसने भेरा के स्वर्गवास के बाद उसकी पुत्री काली के नाम उक्त वर्णित कृषि भूमि का विरासत से नामान्तरकरण दर्ज कर लिया गया जबकि वसीयत के अनुसार भेरा ने काली को उक्त वर्णित आराजीयात से वंचित रखा था। इसके बावजूद भी तत्कालीन पटवारी द्वारा भेरा के वारिसान की सही रूप से जांच नहीं कर विरासत से विपक्षी सं. 1 के नाम नामान्तरकरण कर दिया। उक्त नाम खाते में दर्ज हो जाने के बाद विपक्षी नं. 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को भूमि विक्रय किये जाने के बाद भी उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है जो कि प्रार्थी के आय का एकमात्र जरिया है तथा उक्त वर्णित भूमि से वह अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है। भेरा की मृत्यु के बाद

(1)

वादवर्णित भूमि पर प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी का कब्जा 14 वर्ष से अधिक हो जाने से प्रार्थी वादवर्णित आराजी भूमि अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। स्व. भेरा के स्वर्गवास के बाद सामाजिक रीति–रिवाज, काज–करियावर प्रार्थी द्वारा ही सम्पन्न कराये गये है। वाद वर्णित भूमि पर आज दिनांक तक कब्जा प्रार्थी का है तथा प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में कोई भी व्यक्ति बाधा उत्पन्न नहीं करे, इसलिये प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। भेरा के फौत हो जाने के बाद प्रार्थी के नाम से नामान्तरकरण नहीं कर उसकी पुत्री काली विपक्षी संख्या 1 के नाम पर वाद वर्णित आराजीयात का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया और विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात में से कुछ आराजी भूमि विपक्षी सं. 2 को विक्रय भी कर दी, जबकि विपक्षी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था। इसलिए विपक्षी संख्या 1 द्वारा किया गया विक्रय प्रार्थी की वसीयत के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होकर उक्त विक्रय भी अवैधानिक तरीके से किया गया है। प्रार्थी स्व. भेरा का भतीजा है तथा वसीयत के आधार पर प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का स्वामी है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में विपक्षीगण दखलदांजी करते है। इसलिए प्रार्थी के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण ने मय वकील उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जवाब में बताया है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बिना किसी ठोस आधार व दस्तावेजो के प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। उक्त वाद वर्णित खाता स्व. भेरा का निजी खाता था तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उसकी एकमात्र वारिस उसकी पुत्री काली होने से उसके नाम म्यूटेशन खोला गया। जिससे बतौर मालिक होने की हैसियत से विपक्षी नं. 1 ने उक्त वर्णित खाते की आराजीयात में से आ.नं. 1418 – 1422 – 1427 – 1489 – 1524 – 1571 – 1573 – 1575 – 1599 कुल किता 9 रकबा 1.06 हैक्ट. तथा आ.नं. 1559 रकबा 0.13 हैक्ट. में से 0.03 हैक्ट. तथा आ.नं. 1572 रकबा 0.12 हैक्ट. में से 0.04 हैक्ट. कुल रकबा 1.13 हैक्ट. भूमि को विपक्षी संख्या 2 को जरिये पंजिकृत विक्रय–पत्र के विक्रय कर दिया है, तब से उक्त विक्रय शुदा आराजीयात पर विपक्षी संख्या 2 मालिकाना हक से काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रही है तथा शेष आराजीयात काली के नाम से दर्ज होकर वही उस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रही है। स्व. भेरा की वृद्धावस्था व बीमारी में उसकी देखभाल उसकी पुत्री विपक्षी संख्या 1 व उसके पति ने ही की तथा स्व. भेराजी के जीवनकाल में भी विपक्षी संख्या 1 व उसके पति ही वादवर्णित खेतो को काश्त कर उपयोग–उपभोग कर रहे थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात भी विपक्षी नं. 1 काबिज हो उपयोग–उपभोग कर रही है। प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी नं. 1 के पिता की देखभाल नहीं की, न ही प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात से कोई सारोकार रहा है। प्रार्थी के कथन मिथ्या व मनगढन्त होने से अस्वीकार है। जब प्रार्थी द्वारा कभी भी स्व. भेरा की सेवा चाकरी की ही नहीं गई तो स्व. भेरा द्वारा उसको वसीयत करना मिथ्या अंकित होने से अस्वीकार है। स्व. भेरा की एकमात्र वारिस उसकी पुत्री काली विपक्षी नं. 1 है तथा वह एवं उसका पति ही उसकी देखभाल व सेवा चाकरी करते थे। प्रार्थी के हक में कभी कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया है। ऐसी कोई वसीयत की गई होती तो विपक्षी संख्या 1 को इसकी जानकारी अवश्य होती। प्रार्थी के मन में बदनियति आ जाने व विपक्षी सं. 1 की भूमि को हड़प लेने की गरज से स्व. भेरा की मृत्यु के इतने समय पश्चात फर्जी वसीयत दिखा कर अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता है तथा प्रार्थी जिस वसीयत का कथन कर रहा है, उससे पहले ही भेरा का देहान्त हो गया था तो उनके द्वारा सन् 1990 में वसीयत जारी करना असम्भव होने से अस्वीकार हैं। प्रार्थी जिस तथाकथित वसीयत की बात कर रहा है वो प्रारम्भतया ही फर्जी है क्योंकि वसीयत सन् 1990 में होना दर्शा रहा है जबकि भेरा का देहान्त सन् 1990 से पहले ही हो चुका था। ऐसे में वसीयतनामा बनावटी व फर्जी होने से अस्वीकार है। भेरा के स्वर्गवास के पश्चात विधिवत तरीके से उसके वारिसान विपक्षी नं. 1 के नाम इन्तकाल खोला गया, जो पटवारी हल्का द्वारा सही तरीके से जांच पड़ताल कर खोला गया है। प्रार्थी के पक्ष में कभी किसी प्रकार का वसीयतनामा जारी नहीं किया है। प्रार्थी जिस वसीयतनामें का कथन कर रहा है वह फर्जी व बनावटी है, जिसके आधार पर अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार ही नहीं है। विशेष कथन में बताया कि वादवर्णित आराजीयात भेरा की निजी सम्पति थी, जिसका भेरा ही एकमात्र अधिकारी था तथा भेरा की एकमात्र

सन्तान उसकी पुत्री विपक्षी नं. 1 काली है। भेरा की मृत्यु के पश्चात उसकी देख भाल व सेवा चाकरी उसकी बेटी विपक्षी संख्या 1 व उसके पति ने ही की तथा वही भेरा की उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर उसके जीवनकाल से ही काश्त कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे है, जिसकी सम्पूर्ण जानकारी प्रार्थी को है। भेरा ने उसके जीवनकाल में कभी कोई वसीयत जारी नहीं की, प्रार्थी जो तथाकथित वसीयत बता रहा है वो फर्जी व बनावटी होने से अस्वीकार है। ऐसी कोई वसीयत अस्तित्व में होती तो प्रार्थी भेरा की अन्य जमीन अपनी पत्नि के नाम से क्रय नहीं करता तथा उक्त बनावटी वसीयतनामा यदि अस्तित्व में होता तो प्रार्थी उसी के आधार पर इन्तकाल खुलवा लेता। इसके अलावा जो भूमि क्रय की है उसमें 1/2 भाग पर प्रार्थी की पत्नी तथा 1/2 भाग पर विपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज था, जिसकी प्रार्थी को पूर्ण जानकारी थी तो प्रार्थी ने उस समय किसी प्रकार का विरोध क्यों नहीं किया जो उसकी बदनियती को स्पष्टतः प्रकट करता है। तथाकथित वसीयतनामा बनावटी व फर्जी है। अंत में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टया खारिज कराये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस अपने प्रार्थना–पत्र के अनुरूप रही तथा मुख्यतः यही कथन किया कि स्व. श्री भेरा पिता पद्मा द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 10.09.1990 को वादग्रस्त भूमि की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में की थी, जिस पर प्रार्थी भेरा के समय से ही काबिज है। आज भी कब्जा काश्त प्रार्थी का ही है। स्व. श्री भेरा पिता पद्मा की मृत्यु पश्चात जो विरासतन नामान्तरण विपक्षी सं. (1) के नाम पर खोला गया है, उसके आधार पर प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल नहीं किया जावे। प्रकरण के तथ्यो के आधार पर प्रथमदृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा संतुलन का बिंदु प्रार्थी के पक्ष में है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रपाल ने बहस की, बहस उनके जवाब प्रार्थना–पत्र के अनुरूप रही तथा मुख्यतः यही कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत अनरजिस्टर्ड होकर विपक्षी सं. (1) के पिता की मृत्यु के पश्चात फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार की गई है। विपक्षी सं. (1) अपने पिता की एकमात्र वारिस है, उनके जीवनकाल में उनकी सम्पूर्ण देखभाल व सेवा–सुश्रुषा विपक्षी सं. (1) व उसके पति ने ही की थी। प्रार्थी को विपक्षी सं. (1) नहीं पहचानती है। प्रस्तुतः वसीयत झूठी व बनावटी है। श्री भेरा पिता पद्मा की मृत्यु के पश्चात विपक्षी सं. (1) के नाम पर जो विरासतन नामान्तरण खोला गया है, वह विधिसम्मत होकर सही है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस पर चिंतन व मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपना प्रार्थना–पत्र मुख्यतः दिनांक 10.09.1990 की वसीयत के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के अनुसार भेरा की मृत्यु दिनांक 12.10.1998 को हुई थी, जबकि विपक्षी के अनुसार भेरा की मृत्यु तथाकथित वसीयत निष्पादन दिनांक 10.09.1990 के पूर्व ही हो गई थी, अतः ऐसे में दिनांक 10.09.1990 को स्व. श्री भेरा पिता पद्मा के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में वसीयत किया जाना सम्भव नहीं है। इस तथ्य को साबित करने हेतु प्रार्थी द्वारा भेरा की मृत्यु बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा – मृत्यु प्रमाण पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि स्पष्ट हो पाता कि भेरा पिता पद्मा की मृत्यु वाकई में कब हुई थी। प्रार्थी के अनुसार वह वसीयत निष्पादन दिनांक 10.09.1990 के पूर्व से ही वादग्रस्त भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है तथा भेरा की देखभाल व सेवा–सुश्रुषा भी उसके द्वारा ही की गई थी। प्रार्थी के अनुसार वह स्व. भेरा की वादग्रस्त भूमि पर वसीयत निष्पादन के पूर्व से लेकर आज दिनांक तक निरंतर काबिज होकर कब्जा काश्त प्रार्थी का ही है। लेकिन यदि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर स्व. श्री भेरा की मृत्यु दिनांक 12.10.1998 (जैसा कि प्रार्थी दावा करता है) से भी लगभग 10 वर्ष पूर्व से लेकर आज दिनांक तक निरन्तर काबिज है तो फिर स्व. श्री भेरा पिता पद्मा की मृत्यु के पश्चात उसकी वादग्रस्त खातेदारी भूमि के दिनांक 12.10.1998 को विपक्षी सं. (1) के पक्ष में खोले गये नामान्तरण सं. 80 के समय उसके द्वारा कोई आपत्ति क्यों नहीं की गई। प्रार्थी के द्वारा अपना यह वसीयत पत्र तत्समय ही ग्राम पंचायत या पटवारी के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। यहां तक कि नामान्तरण सं. 80 के द्वारा स्व. श्री भेरा की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि कुल किता 47 रकबा 5.66 हैक्ट. भूमि उसकी पुत्री अर्थात विपक्षी सं. (1) के नाम दर्ज होने के बाद विपक्षी सं. (1) के द्वारा कई आराजी भूमि विपक्षी सं. (2) को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की गई, लेकिन तब भी प्रार्थी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। यहां तक कि स्व. भेरा पिता पद्मा मीणा की समस्त खातेदारी भूमि

(कुल किता 47 रकबा 5.66 हैक्ट. भूमि) में से स्वयं प्रार्थी ने विपक्षी सं. (1) से अपनी पत्नि थावरी के नाम पर दिनांक 24.02.2004 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी नं. 1463, 1468, 1471, 1426, 1469, 1490, 1517, 1574, 1579, 1597, 1415, 1558 की सम्पूर्ण/आंशिक हिस्सा भूमि कीमतन खरीद की है। एक तरफ तो प्रार्थी स्व. श्री भेरा पिता पद्मा की मृत्यु से पूर्व से ही उसकी समस्त खातेदारी भूमि पर निरंतर काबिज काश्त होने तथा वसीयत पत्र के आधार पर मालिकाना हक स्वयं का होने का दावा करता है तथा विपक्षी सं (1) के द्वारा विपक्षी सं. (2) के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को, विपक्षी सं. (1) के मालिकाना हक न होने के आधार पर, शून्य एवं निष्प्रभावी होने का दावा करता है वहीं दूसरी ओर प्रार्थी स्वयं भी इसी विपक्षी सं. (1) से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपनी पत्नि के नाम कीमतन भूमि खरीद कर रहा है। यदि प्रार्थी के पक्ष में स्व. श्री भेरा द्वारा वसीयत पत्र निष्पादित किया गया था तथा प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज काश्त था तो प्रार्थी को वसीयत पत्र/कब्जे के आधार पर उक्त भूमि अपने नाम पर दर्ज करवा लेनी चाहिये थी, कीमतन क्रय करने की क्या आवश्यकता थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत पत्र में स्व. श्री भेरा यह कथन करता है कि चूंकि उसका कोई पुत्र नहीं है तथा वह अपनी एकमात्र पुत्री को भी अपनी सम्पत्ति में से कोई हक नहीं देना चाहता है, अतः उसकी मृत्यु पश्चात उसकी खातेदारी भूमि बाबत् कोई विवाद नहीं हो इसलिये वह अपने जीवनकाल में ही अपनी तमाम चल–अचल सम्पत्ति की व्यवस्था कर देना चाहता है। स्व. श्री भेरा की मृत्यु के समय उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में कुल आराजी किता 47 रकबा 5.66 हैक्ट. भूमि दर्ज थी लेकिन इसके विपरीत उसके द्वारा वसीयत पत्र में केवल आराजी किता 32 की भूमि ही प्रार्थी के पक्ष में तथाकथित रूप से वसीयत की गई। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ये 32 आराजी किता भूमि वही है जो कि विपक्षी सं. (1) द्वारा विपक्षी सं. (2), प्रार्थी की पत्नि तथा अन्य को विक्रय करने के पश्चात् शेष बचती है। अब प्रश्न यह है कि क्या स्व. श्री भेरा को दिनांक 10.09.1990 को वसीयत करते वक्त यह मालूम था कि उसकी मृत्यु पश्चात उसकी वारिस पुत्री (विपक्षी सं. 1) द्वारा कुछ आराजी भूमि अन्य व्यक्तियों को क्रय कर दी जावेगी, इसलिये उसने शेष रहने वाली 32 आराजी किता भूमि की वसीयत ही प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित की थी ? प्रार्थी द्वारा इस तथ्य बाबत् अपने प्रार्थना पत्र में कोई कथन नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधारों को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर चूंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति तथा सुविधा संतुलन का बिंदु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(शैलेश सुराणा)
सहायक कलेक्टर
ऋषभदेव